भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. सं.-क्रू/आरपीएस/5/2018 दिनांक : 20.06.2019

क्रू अनुभाग परिपत्र संख्या: 03/2019

विषय : समुद्रकर्मियों को कार्य पर लगाने एवं हटाये जाने के संबंध में डेटा अपलोड करने के लिए नई प्रक्रिया (अनुबंध पत्र तथा प्रपत्र-I आरपीएसएल) – संबंधी ।

जबकि, क्रू अनुभाग परिपत्र संख्या 01/2019 (फा. संख्या: क्रू/आरपीएस/5/2018) दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से समुद्रकर्मियों को कार्य पर लगाने एवं हटाये जाने के संबंध में डेटा अपलोड करने के लिए दिनांक 01.03.2019 से नई प्रक्रिया आरंभ किए जाने तथा इस पर अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा कुछ कहा जाना हो तो वे अपनी टिप्पणियाँ 10.02.2019 तक भिजवाने के लिए परिपत्र जारी किया गया।

2. और जबकि हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, उनके द्वारा लंबित डेटा को 15.03.2019 तक अद्यतनीकृत करने की बात को सक्षम प्राधिकारी ने माना।

3. इसलिए, समुद्रकर्मियों को कार्य पर लगाने और हटाये जाने के संबंध में समुद्रकर्मियों का डेटा प्रस्तुत करने के लिए उक्त नई प्रक्रिया निम्नलिखित निरूपण के अनुसार 16.03.2019 से लागू है:

1. "तट पर समुद्री सेवा के आरंभ होने की तारीख / संविदा के आरंभ होने की तारीख" की प्रविष्टि संविदा में हस्ताक्षर करने के 15 दिन के भीतर कर दी जाए।
2. "पोत पर चढ़ने की तारीख की प्रविष्टि" "तट पर समुद्री सेवा के आरंभ होने की तारीख / संविदा के आरंभ होने की तारीख" के 30 दिन के भीतर प्रविष्टि कर दी जाए।
3. "पोत से उतरने की तारीख" की प्रविष्टि समुद्रकर्मी के पोत से उतरने के 15 दिन के भीतर कर दी जाए।
4. "तट पर समुद्री सेवा की समाप्ति की तारीख / संविदा समाप्ति की तारीख" की प्रविष्टि तट से उतरने के 15 दिन के भीतर कर दी जाए।
5. निर्धारित समय सीमा के बाद प्रणाली में किसी डेटा की प्रस्तुति संभव नहीं होगी।
6. समय विशेष पर बैंक गारंटी के अंतर्गत आने वाले समुद्रकर्मियों से अधिक समुद्रकर्मियों के डेटा की प्रस्तुति, प्रणाली में नहीं की जा सकेगी।

4. नई प्रक्रिया के प्रावधान में अगर चूक होती है, तो पोतस्वामी/आरपीएसएल को एक-एक महीने के लिए उपर्युक्त प्रणाली को प्रयोग में लाने से वंचित कर दिया जाएगा।

5. यदि समुद्रकर्मी ने सूचित किया कि कंपनी/आरपीएसएल द्वारा डेटा अपलोड नहीं किया गया है, तो कंपनी/आरपीएसएल को तीन महीनों के लिए प्रणाली से वंचित कर दिया जाएगा।

6. बार-बार चूक करने वालों पर, धारा 436, वा. पो. अधिनियम, 1958 एवं वा. पो. (आर&पीएस) नियम, 2016 के अंतर्गत नौमनि ई-प्रणाली का उपयोग करने से रोक लगायी जाएगी। साथ ही साथ, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

7. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष बरगुजर)
उप नौवहन महानिदेशक (क्रू अनुभाग)

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-25752029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

F. No. CR/RPS/5/2018 **Date:20.06.2019**

Crew Branch Circular No. 03 of 2019

Sub: New procedure for uploading seafarers engagement and discharge data [Article of Agreement and Form – I, RPSL] – reg.

Whereas, vide Crew Branch Circular No. 1 of 2019 [F.No. CR/RPS/5/2018] dated 31.01.2019, the draft new procedure for submission of seafarer's engagement and discharge data [Article of Agreement and Form – I of RPSL] was circulated for its commencement w.e.f 01.03.2019 and for obtaining comments if any, theron from the end-users by 10.02.2019

2. And whereas, after getting the feedback from the stakeholders, the last date of updating pending data by 15.03.2019 by them was considered by the competent authority.

3. Therefore, the said new procedure for submission of seafarers' data in respect of their engagement and discharge has been implemented and the same is functional w.e.f 16.03.2019 as per the following formulation:

(1) The "Date of Sign On Shore"/"Date of Commencement of Contract" shall be entered with in 15 days from the date of contract signed.

(2) The "Date of Sign On Ship" shall be entered with in 30 days from "Date of Sign On Shore"/"Date of Commencement of Contract ".

(3) The "Date of Sign Off Ship" shall be entered with in 15 days from the date seafarer signs off from the ship.

(4) The "Date of Sign Off Shore"'/"Date of Completion of Contract" shall be entered with in 15 days from the date of the signed off shore.

(5) The system will not allow to submit any data if the details are not submitted in the stipulated time frame.

(6) The system will not allow to submit data of seafarers more than the number of seafarers covered under bank guarantee at any given point of time.

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-25752029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in